

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 93

दिनांक:- 12-11-25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 18656160 दिनांक: 06.11.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के निम्न 06 कार्यों, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिण्डोली के निम्न 06 कार्यों, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनवां के निम्न 03 कार्यों एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन के निम्न 04 कार्यों कुल 19 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम / स्थान	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेंसी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं मा.नं. / फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बून्दी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	खटकड़	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर. एम. आर. एस.	संबंधित आर. एम. आर. एस.	-
2	बून्दी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	नमाना	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
3	बून्दी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रायथल	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
4	बून्दी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मादून्दा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
5	बून्दी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नीम का खेड़ा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
6	बून्दी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	गुढ़ानाथावतान	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
7	हिण्डोली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	हिण्डोली	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
8	हिण्डोली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अलोद	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
9	हिण्डोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सथूर	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
10	हिण्डोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रानीपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
11	हिण्डोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	आकोदा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
12	हिण्डोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बड़ानयागांव	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
13	नैनवां	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	देई	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
14	नैनवां	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	करवर	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-
15	नैनवां	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	तलवास	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित आर.एम. आर.एस.	संबंधित आर.एम.आर. एस.	-

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by A. May Godara
Designation : Collector & District
Magistrate

Date: 2025.11.11 14:32:04 IST

Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18705784

16	इन्द्रगढ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	लाखेरी	अतिवृष्टि	2.00	संबधित आर.एम. आर.एस.	संबधित आर.एम.आर. एस.	-
17	इन्द्रगढ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	इन्द्रगढ	अतिवृष्टि	2.00	संबधित आर.एम. आर.एस.	संबधित आर.एम.आर. एस.	-
18	इन्द्रगढ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बडाखेडा	अतिवृष्टि	2.00	संबधित आर.एम. आर.एस.	संबधित आर.एम.आर. एस.	-
19	इन्द्रगढ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सुमेरगंजमण्डी	अतिवृष्टि	2.00	संबधित आर.एम. आर.एस.	संबधित आर.एम.आर. एस.	-
			कुल योग		38.00			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं हैं।
- आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोम्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेंसी, जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:-सहायता/2025/3450-70

दिनांक:- 12-11-25

- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी
- उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी, कापरेन, नैनवां, हिण्डोली
- तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Aay Godara
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.11 14:32:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18705784